भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3631

(दिनांक 08.08.2018 को उत्तर के लिए)

बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली

3631. श्री सी. गोपालकृष्णन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार के कार्यालयों में बायो-मीट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने सरकारी कार्यालयों में बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू नहीं की गई है;

(ग) क्या बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरूआत से पूर्व और पश्चात् श्रमशक्ति के परिणाम का आंकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

(क) : सरकार ने भारत सरकार के सभी कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज करने हेतु सक्षम प्लेटफार्म के रूप में समर्थित बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, दिनांक 28.1.2015 को सभी मंत्रालयों/विभागों को ये अनुदेश जारी किए गए थे कि बायोमीट्रिक उपस्थिति पोर्टल में नियमित आधार पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए सभी कर्मचारियों को आवश्यक निदेश जारी किए जाएं।

(ख) : ऐसे सरकारी कार्यालयों की संख्या के संबंध में केंन्द्रीकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जहां बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू नहीं की गई है। तथापि, संग्रहीत सूचना के अनुसार जुलाई, 2018 तक की स्थिति के अनुसार उपस्थिति पोर्टलों पर 5049 केंद्र सरकारी कार्यालय पंजीकृत हैं।

(ग) : बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरूआत से पूर्व और पश्चात श्रमशक्ति के कार्य परिणाम का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

*****